

प्ररूप- 19

[नियम 18(8), 19(7)]

जांच के लंबन की स्थिति में, बालक को माता-पिता संरक्षक या उपयुक्त

व्यक्ति की देखरेख में रखने के लिए आदेश

.....20 का मामला सं०

.....के संबंध में

तारीख..... को पाया गया है कि..... के लिए देखरेख आवश्यक है तथा (नाम)..... (पता) के द्वारा प्रतिज्ञा पत्र भरने पर पर्यवेक्षण में रखा जाता है और समिति संतुष्ट है कि बालक को उसके पर्यवेक्षण में रखने संबंधी आदेश जारी करना हितकर होगा।

बालक को सी डब्ल्यू सी के समक्ष प्रस्तुत करने के कारण:.....

आदेश दिए जाते हैं कि कथित बालक (नाम) को (अवधि) के लिए.....

(पता) के पर्यवेक्षण में रखा जाए। इसके लिए निम्न शर्तें होंगी:

1. आवश्यक होने पर प्रतिज्ञा-पत्र भरने वाला कथित व्यक्ति समिति को बालक के साथ साथ आदेश और भरे गये प्रतिज्ञा पत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।
2. बालकअवधि के लिए..... पर रहेगा।
3. बालकको समिति की अनुमति के बिना के जिला अधिकार क्षेत्र को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
4. बालक नियमित तौर पर विद्यालय / व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र पर जाएगा। बालक नियमित तौर पर..... विद्यालय/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र पर (यदि पहले से बताया गया हो) विद्या/प्रशिक्षण प्राप्त करेगा।
5. बालक की देखभाल करने वाला व्यक्ति बालक की उचित देखभाल शिक्षा और कल्याण की व्यवस्था करेगा।
6. बालक को अवांछित तत्वों से मेल जोल बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी तथा उसे कानून के विरुद्ध कोई भी काम करने से रोका जाएगा।
7. बालक को किसी नशीले पदार्थ या मादक द्रव्यों के उपयोग से बचा के रखना होगा।
8. उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन के लिए समिति द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों का अनुसरण करना होगा।

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष/सदस्य
बाल कल्याण समिति

- बाल कल्याण समिति द्वारा निर्धारित अन्य कोई भी शर्त, शामिल की जा सकती है।